MUNICIPAL CORPORATION BHILAI (C.G.)
NIT

Name of work :- जोन क्रं. 05 सेक्टर 06 कार्यालय में पंप संचालन कार्य हेतु अकुशल श्रमिक प्रदाय बाबत्।

आयटम दर अनुसार

क्रं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा
1	2	3
1	जोन क्रं. 05 में पंप संचालन कार्य हेतु श्रमिक प्रदाय कार्य।	
	श्रम आयुक्त दरों पर श्रमिक प्रदाय	7 श्रमिक x 365 दिन = 2555 दिन
	अकुशल–373.85 पी.एफ'– 48.60 (13%) ई.एस.आई– 12.15 (3.25%)	

EXECUTIVE ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION
BHILAI

ASSISTANT ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION
BHILAI

SUB ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION
BHILAI

Scanned with CamScanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
(जोन–05 सेक्टर 06 भिलाई)
नियम व शर्ते

कार्य का नाम – निगम के जोन क्रं. 05 सेक्टर 06 कार्यालय में पंप संचालन कार्य हेतु अकुशल श्रमिक प्रदाय बाबत्।

1. निविदादाता द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई में श्रमिक प्रदाय कराने हेतु सहायक श्रमायुक्त द्वारा प्रदत्त जीवित अनुज्ञप्ति एवं EPF तथा ESI Code से संबंधित अभिलेख/प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
2. एन.जी.ओ. होने की स्थिति समिति का पंजीयन प्रमाण – पत्र बायलाज, पदाधिकरियो की सूची अभिप्रमाणित प्रति संस्था का पैन नम्बर (परमानेन्ट एकाउंट नम्बर) की तीन साल की आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. निगम में पंजीकृत ठेकेदार होने की स्थिति में :–
   1. वैध लेबर लायसेंस की छायाप्रति
   2. निगम में ठेकेदार हेतु पंजीकृत वैध प्रमाण पत्र की छाया प्रति
   3. ठेकेदार का पैन नम्बर
   4. दो साल की आडिट रिपोर्ट की छाया प्रति
   5. सामान प्रकृति के कार्य का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
4. अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिकों के संबंध में एक शपथ पत्र रू. 50.00 स्टाप पेपर में नोटरी कराकर इस आशय के साथ देना होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के विरूद्ध किसी प्रकार की न्यायालीन या पुलिस थाना में कोई प्रकरण दर्ज नही है। उपलब्ध कराये गये श्रमिकों पाक–साफ है।
5. श्रमिक के अनुपस्थिति में तत्काल अन्य श्रमिक की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी। श्रमिक की व्यवस्था नही होने की स्थिति में श्रमिक की अनुपस्थिति में एक अनुपस्थिति के स्थान पर दो दिन की वेतन कटौती देयक से की जावेगी।
6. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिकों से कोई दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जावबदारी निविदाकार की होगी।
7. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिकों उपअभियंता के निर्देश पर कार्य करेंगे। यदि अधिकारी की निर्देश की अवहेलना कि जाती है तो ऐसी व्यवस्था में उक्त श्रमिक के स्थान पर अन्य श्रमिक कि व्यवस्था करनी होगी।
8. कार्य प्रतिदिन 8 घन्टे की कार्य अवधि का है, परंतु आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को कार्य पर बुलाया जा सकता है। बुलाये गये समय पर श्रमिक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदाकार होगी। कार्य के समय में भी परिवर्तन किया जा सकता है परिवर्तित समय पर भी श्रमिक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। अतिरिक्त समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
9. निविदा के संपूर्ण भाग निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम के आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी ।
10. अनुवंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नही छोड सकेगा और न ही किसी अन्य को हस्तातरंण कर सकेगा। यदि अनुबंध की बीच की अवधि मे कार्य छोड़ गया तो पुनः निविदा बुलाकर हानि की क्षतिपूर्ति अनुवंधकर्ता से की जा सकेगी। उनकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. निविदाकार समस्त व्यय एवं शासन द्वारा अधिरोपित समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेगा।
12. श्रमिक कार्य के लिए अनुबंध की अवधि 01 वर्ष के लिये होगी लेकिन आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की संख्या एवं कार्य अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
13. शासन के घोषित दर नियमो व न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन का भुगतान नियोजित कर्मचारियों को नही किया जावेगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकर्ता (अनुबंधित एजेंसी) की होगी ।

Scanned with CamScanner

14. निविदा मैनुअल पद्धति से आमंत्रित है। निविदादाता द्वारा (1) वैध अनुज्ञप्ति, (2) आयकर विवरणी विगत दो वर्षो की, (3) पेन कार्ड की छाया प्रति, (4) यदि एन.जी.ओ. स्व. सहायता समूह हो तो संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, अवधि गत तीन वर्षो की आडिट रिपोर्ट, (5) निविदाकर द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे (संस्था को) किसी भी शासकीय संस्था में दिवालिया/काली सूची में नही किया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की छायाप्रति **Speed Post** के माध्यम से **जोन–05 सेक्टर 06 भिलाई** में दिनांक 11-5-2022, **सायं 5.30 बजे** तक प्राप्त की जा सकेगी।

15. सहायक श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दैनिक/मासिक वेतन की न्यूनतम दर से कम की दरे निविदा में प्राप्त होने पर उक्त निविदा प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा। ऐसी निविदा प्रस्ताव विचार योग्य नही होगी।

18. छ.ग. शासन में सभी प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम नियमों/संविदा मजदूरी व भविष्य निधि तथा दुर्घटना बीमा आदि का नियमानुसार जमा करने की जवाबदारी संबंधित एजेंसी की होगी। किसी प्रकार की शिकायत आदि का निराकरण करने की जवाबदारी निविदाकर्ता (अनुबंधित एजेंसी) की होगी।

16. सहायक श्रम आयुक्त द्वारा समय–समय पर श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है तो एजेंसी को बढ़े हुए दर पर श्रमिकों को भुगतान किया जाना होगा तथा बढ़ी हुई दर का भुगतान एजेंसी को निगम द्वारा सक्षम स्वीकृत उपरांत किया जावेगा।

17. अनुबंधित एजेंसी को समस्त श्रमिकों का आधार कार्ड की प्रति, दो फोटो, कार्यादेश के 2 दिवस के अंदर नियम कार्यतिथि में जमा करना अनिवार्य होगा।

18. प्रत्येक माह निष्ठा/निगम में प्रचलित तात्कालिक पद्धति के माध्यम से ही वाहन चालकों की उपस्थिति दर्ज किया जायेगा। जिसके आधार पर ही वेतन देयक का भुगतान किया जायेगा।

19. प्रत्येक माह की 07 तारीख तक श्रमिकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा एवं कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा (EPF एवं ESI) की राशि का चालन माह के 07 तारीख के पूर्व जमा कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रति दिवस विलम्ब हेतु आरोपित दाण्डिक शुल्क वसूल किया जावेगा।

20. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मचारी भविष्यनिधि तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित एजेंसी का होगा।

21. अनुबंधित एजेंसी को निगम के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा निविदा नियम शर्तो का उल्लंघन करने पर निविदाकार को जमा निविदा धरोहर राशि को राजसात कर अनुबंध निरस्त कर अन्य निविदाकर से कार्य कराया जावेगा।

निविदा की न्यूनतम दर (निविदा स्वीकृत) स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार को उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध नही करने पर प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदाकारों या स्वसहायता समूह से कार्य कराया जावेगा जिसके संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नही होगा।

नगर पालिक निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

जोन आयुक्त
(जोन–05 सेक्टर 06)
नगर पालिक निगम,
भिलाई

Scanned with CamScanner